

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4431
28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

“इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में गुणवत्ता आश्वासन”

4431. श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन में गुणवत्ता आश्वासन के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए इस तंत्र को संशोधित करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ङ) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोटोटाइप/संघटकों का परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अंतर्गत अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाता है ताकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों का अनुपालन हो सके।

साथ ही, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम तथा आईआईटी, चेन्नई के स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया था ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और इसके संघटकों, बीएमएस तथा संबद्ध प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानकों को पुनरीक्षित किया जा सके।

समिति की सिफारिशों के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 सितंबर, 2022 के अपने सां.आ. 4567(अ) के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों अर्थात् एआईएस:156 [एल श्रेणी (चार से कम पहिए वाले और चौपहिए मोटरवाहन) के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए] और एआईएस:038 (पुनरीक्षण 2) [एम श्रेणी(यात्रीवाहन के लिए न्यूनतम चार

पहिए वाले मोटर वाहन), एन श्रेणी (मालवाहन के लिए न्यूनतम चार पहियों वाला मोटर वाहन) के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं] में संशोधन किए हैं ताकि एल,एम और एन श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की ट्रैक्शन बैटरी की तकनीकी अपेक्षाओं का निर्धारण किया जा सके। उक्त संशोधन 01 दिसंबर,2022 से अनुप्रयोज्य हैं और इन एआईएस मानकों के कुछ खंड 31 मार्च,2023 से प्रभावी होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 19 दिसंबर,2022 के सा.सां.नि. 888(अ) के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 के नियम-124 के उप-नियम 4 में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए ट्रैक्शन बैटरी संबंधी संघटकों हेतु टाइप अनुमोदन और उत्पादन अनुरूपता स्थापित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है।
